न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 11/2021

मदनलाल पुत्र कान्ता प्रसाद पेशा मजदूरी, जाति खाती, निवासी ढाका मण्डी, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

—अपीलांट

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

—रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना
उनवानी सरकार बनाम मदनलाल अं0 धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 112/2020 निर्णय दिनांक 24.09.2020

उपस्थितिः—

1 .श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण, एडवोकेट ———————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 28.07.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.09.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मदनलाल मु0 नं0 112/2020 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – अधीनस्थन न्यायालय ने केवल हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णण पारित किया गया है। प्रकरण में मौके के संबंध में किसी प्रकार की साक्ष्य अथवा हल्का पटवारी के बयान नहीं लिये। वर्तमान में प्रार्थी के मकान के आस—पास 100—150 पक्के मकानत है, आबादी है, सभी घरों में विधुत कनेक्शन व पानीका कनेक्शन है। भूमि खसरा नंबर 175 के पुराने खसरा नंबर 126 है तथा प्रार्थी के दादा के समय से कब्जे में चली आ रही है तथा यह प्रार्थी के पिता कान्ता प्रसाद के नाम से 777 वर्गगज [illegible] प[illegible] दिनांक 10.11.1975 का बना हुआ है। तब से प्रार्थी के पिता कान्ता प्रसाद व उसके बाद [illegible] व उसका भाई मदनलाल इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:07:26 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

पट्टेशुदा जमीन पर अलग अलग मकान बनाकर रह रहे हैं। यह 777 वर्गगज पट्टाशुदा भूमि दिनांक 24.11.1975 को नियमन जरिये निर्णय तहसीलदार खेतड़ी के द्वारा हो चुकी है। इस प्रकार उक्त जमीन प्रार्थी क दादा के समय से कब्जे में चली आ रही है। इस भूमि के पास चारों और सैकड़ों मकान बने हुये हैं केवल प्रार्थी के विरूद्ध ही धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की गई है। अंत अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना का निर्णय दिनांक 07.09.2020 सरकार बनाम मदनलाल निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अधीनस्थ न्यायालय तहसीलार बुहाना ने बिना मौके की जांच किये केवल हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर केवल प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की की है। मौके पर पूर्ण रूप से आबादी बसी हुई है करीब 100–150 घर आबाद है सभी के विधुत व पानी के कनेक्शन है। विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट के पास वर्ष 1975 से उनके पिता के नाम से 777 वर्गगज भूमि का पट्टा है जो तहसीलदार खेतड़ी द्वारा नियमन की हुई भूमि है जिस पर अपीलांट व उसका भाई अपने पिता के समय से पक्के मकानात बनाकर आबाद है।विवादित भूमि को लेकर प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है जहां से अपीलांट के पक्ष में स्थगन आदेश है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपील[illegible] प्रकरण सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टेट, बुहाना में विचाराधीन होने एवं प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत पट्टे की हद तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। आदेश की प्रति प्रास्तुत की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:07:26 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा अपने निर्णय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सनट/पट्टे के संबंध में अपने निर्णय में कोई विवेचना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2020 उनवानी सरकार बनाम मदनलाल मु0नं0 112/2020 धारा 91 एल.आर.एक्ट निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार बुहाना को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अन्य सिविल न्यायालय आदि के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में पुनः गुणवगुण पर विवेचना करते हुये विधिसम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:07:26 IST
Reason: SelfAttested